(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12 /2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून, 2020

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि मलेशिया (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर्स (प्रिंटर युक्त कैलकुलेटर्स , जिसे सामान्यतया प्रिंटिंग कैलकुलेटर्स के नाम से जाना जाता है; प्लाट चार्ट और ग्राफ तैयार करने वाले कैलकुलेटर्स जिन्हें समान्यता ग्राफिंग कैलकुलेटर्स के नाम से जाना जाता है; और प्रोग्रामएबल कैलकुलटर्स को छोड़कर)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 8470 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकरी अधिसूचना संख्या 6/22/2019-डीजीएफटीआर, दिनांक 18 मार्च, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश में इससे संबंधित सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर आयात किया गया है, जिसके कारण इसकी यहां भरमार हो गई है;

(ii) विषयगत देश से विषयगत वस्तु की होने वाली इस भरमार से यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) घरेलू उद्योग को हुई यह सारवान क्षति विषयगत देश से होने वाले फालतू आयात के कारण हुई है;

2. और जहां कि घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने उपर्युक्त निष्कर्षो में विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भज्ञरत में आयातित विषयगत वस्तु पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश की है;

3. अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7)

की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्देशित राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

तालिका

क्र. सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8470	इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर्स	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई देश	कोई भी	0.92	अमेरिकी डॉलर	प्रति नग
2.	8470	इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर्स	मलेशिया से भिन्न कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	0.92	अमेरिकी डॉलर	प्रति नग

स्पष्टीकरण- इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर ", जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :-

क. प्रिंटरयुक्त कैलकुलेटर्स, जिनको सामान्यता प्रिंटिंग कैलकुलेटर्स कहा जाता है ।

ख. प्लाट चार्टस और ग्राफस तैयार करने वाले कैलकुलेटर्स, जिनको सामान्यता ग्राफिंग कैलकुलेटर्स कहा जाता है ।

ग. प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स

4. लगाया गया यह प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/56/2020 –टीआरयू)]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार